

प्राति निर्णय दिनांक 21-6-2019

राजस्व निविदा प्रकरण सं. 25/2018

गोनाराम वनाम दानाराम, वेणुग्राह

न्यायालय - अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालौर
अन्तर्गत धारा 212 राज. कार्यकारी अधि. 1955

21-6-19

वकूलाय उपस्थित / अप्रार्थी सं. 4
की ओर से सरकारी वकील उपस्थित /
वकील प्रार्थी ने इस प्रार्थनापत्र को
Not press किया है / अप्रार्थी/वा
वकील ने कोई आपाती नहीं की है।
अतः प्रार्थी का स्थगन प्रार्थनापत्र
Not press में स्वीकार किया जाता है।
पत्रावली नम्बर संक्रम होकर फैसल
शुमार हो / आदेश से इजलास समाप्त किया गया।

(बबनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालौर (रज.)

Not Press

Not Press

